

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 1968/आश्विन 2, 1890

No. 347] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 1968/ASVINA 2, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September 1968

S.O. 3462.—In exercise of the powers conferred by Section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoint Shri N. G. Chaudhury, District Judge, Jalpaiguri as *ad-hoc* Claims Commissioner with effect from the 7th August, 1968 in place of Shri Sridhar Chandra Ray as notified under this Ministry's notification of even number, dated 3rd July, 1968 to deal with, in addition to his own duties, all claims for compensation arising out of the accident on the 28th September, 1967 involving 4 Down Assam Mail between Samukhtola Road and Salsalabari stations near Alipurduar, Northeast Frontier Railway. His headquarters will be at Jalpaiguri.

[No. E(O)II67AP1/6.]

C. S. PARAMESHWARAN, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर 1968

एस० नो० 3463—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का (IX) की धारा 82ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा जलपाईगुड़ी के डिस्ट्रिक्ट जज,

श्री एन० जी० चौधरी को 7 अगस्त, 1968 से, इसी मंत्रालय की 3 जुलाई 1968 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित श्री श्रीधर चन्द्र राय के स्थान पर अपनी इष्टी के अतिरिक्त 28 सितम्बर, 1967 को अलीपुरद्वार के पास पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सामुक तला रोड और सालसालाबारी स्टेशनों के बीच 4 डाउन असम मेल के साथ घटित दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी दावों का निपटारा करने के लिए, तदर्थ दावा कमिश्नर नियुक्त करती है। श्री चौधरी का मुख्यालय जलपाईगुडी में होगा।

[सं० ई(प्रो) II 67एसी 1/6]

सी० एस० परमेश्वरन, सचिव।